## MCDR-MiFLOLST/23/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM

Violation letter / उल्लंघन पत्र (Speed post/ द्रुत डाक)

1/29503/2024

भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.aimer@ibm.gov.in





Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002 Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 1**2**/0**4**/2024

संख्या: MCDR-MiFL0LST/23/2023--AJM-IBM\_RO\_AJM

प्रेषित: The Agent,

Gagrana Limestone Mines M/s Mangalam Cement Ltd. Po Adityanagar, Morak-326520 District Kota (Rajasthan)

इमेल: ( mines@mangalamcement.com)

राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी गागराना चुनापत्थर खान क्षेत्रफल 200.00 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 08/12 /2023 by undersign in presence of Shri Gopal Prajapati, Mines Foreman.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operation has not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan
	approved on 27/12/2021 to the extent given below for the year 2022-23:
	1. During the inspection it has been observed that in the working pit at some places
	the bench geometry is not as per proposals in approved document. The max.
	height of bench should not exceed 6 meters as approved.
	2. It was proposed to mine out 75018 tones of ROM from the mine during the year
	2022-23. But as per annual return submitted the quantity or ROM excavated
	during the year is 32324 tones, which is much below the proposed ROM
	production.
48	Record in prescribed Form-J of all boreholes has not been maintained / submitted.

02. **इस** संदर्भ में **आपका ध्यान** आर्कषित किया **जाता** है कि उपरोक्त नियम **का उत्लंघन** खनिज **संरक्षण एवं** विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंर्तगत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली ,2017 के अंर्तगत:

- (क) आपकी खान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है। 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने के दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

> सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर 🖛

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

ा.खान नियंत्रक (उ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)

2.निदेशक , खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, शास्त्री सर्किल, उदयपुर

3.खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, जिला- नागौर ।

४.रक्षित पत्रावली ।

सहायक खान नियंत्रक